



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237388
CG-DL-E-20072022-237388

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3083]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2022/आषाढ़ 29, 1944

No. 3083]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

का. आ. 3243(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए काण्डला (गुजरात) से गोरखपुर (उ०प्र०) एल०पी०जी० पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आई०एच०बी० लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाना आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी आई०एच०बी० लिमिटेड, काण्डला-गोरखपुर एल०पी०जी० पाइपलाइन परियोजना (के०जी०पी०एल०), जिला- आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : आजमगढ		राज्य : उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे. नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर - आर - वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6
सगड़ी	कुरसौली यादव	391	00	00	70
		392	00	00	21
		371	00	12	68
		370	00	02	27
		369	00	00	47
		372	00	00	29
		368	00	12	40
		357	00	02	47
		353	00	00	34
		352	00	18	33
		351	00	02	51
		350	00	01	43
		318	00	03	89
		317	00	02	49
		253	00	00	70
		212	00	06	00
		213	00	04	30
		223	00	00	57
		251	00	04	56
		240	00	00	40
		227	00	05	34
		228	00	01	10
		226	00	05	79
		225	00	02	78
		231	00	02	56
		236	00	00	48
		127	00	01	15

125	00	09	42
126	00	02	29
118	00	03	65
121	00	05	66
107	00	00	58
99	00	04	89
106	00	05	22
105	00	03	56
102	00	04	02
103	00	00	27
104	00	01	86

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th July, 2022

S.O. 3243(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of the petroleum product in the state of Uttar Pradesh, Pipeline should be laid for implementing of Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project by the IHB Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline. It is necessary to acquire the right of user (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 3 of the petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there in;

Any person interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Competent Authority, IHB Limited, Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL), Dist.-Azamgarh (UP) within twenty one days from the date on which the copies of the notification Issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

District : Azamgarh		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.-	Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Sagdi	Kursauli Yadav	391	00	00	70
		392	00	00	21
		371	00	12	68
		370	00	02	27
		369	00	00	47
		372	00	00	29

368	00	12	40
357	00	02	47
353	00	00	34
352	00	18	33
351	00	02	51
350	00	01	43
318	00	03	89
317	00	02	49
253	00	00	70
212	00	06	00
213	00	04	30
223	00	00	57
251	00	04	56
240	00	00	40
227	00	05	34
228	00	01	10
226	00	05	79
225	00	02	78
231	00	02	56
236	00	00	48
127	00	01	15
125	00	09	42
126	00	02	29
118	00	03	65
121	00	05	66
107	00	00	58
99	00	04	89
106	00	05	22
105	00	03	56
102	00	04	02
103	00	00	27
104	00	01	86

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.